न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 33/2018

सोहनलाल पुत्र चोखाराम जाति खाति उम्र 60 वर्ष निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

नायब तहसीलदार छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक : 17.11.2014 न्यायालय नायब तहसीलदार छानीबड़ी जिसके द्वारा अपीलार्थी को पटटेशुदा रिहायशी भूखण्ड से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, को अपास्त करने बाबत–

निर्णय दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

अपीलार्थी का ग्राम छानीबड़ी की आबादी भूमि में पुराना रिहायशी पटटेशुदा भूखण्ड स्थित है। अपीलार्थी के नाम उक्त रिहायशी भूखण्ड का पट्टा संख्या 72 दिनांक 26.06.1974 तादादी 750 वर्गफीट राशि 342 रूपये जमा करवाकर नियमानुसार ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा किया गया था, जिसमें रिहायशी मकान बनु हुए है, उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी के बाप दादा पुराने समय से रिहायश करते आ रहे है।

2. अपीलार्थी के उक्त रिहायशी मकान का कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का मिथ्या कथन कर राजनैतिक द्वेषता से एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी को पेश किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित करने पर अपीलार्थी द्वारा अपने रिहायशी मकान के बिजली बिल, पट्टा आदि दस्तावेज पेश कर अपने मकान को आबादी भूमि की पटटेशुदा जगह में होने का अभिकथन किया, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पटटेशुदा रिहायशी भूखण्ड से बदेखल करने का निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथति होकर अपीलार्थी निम्न आधारों पर अपील पेश कर रहा है–

(क) अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2014 विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

(ख) अपीलार्थी ने अपने जवाब नोटिस में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलार्थी के रिहायशी मकान का पट्टा अपीलार्थी के नाम पट्टा संख्या 72 दिनांक 26.06.1974 तादादी 750 वर्गफीट जगह का ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया था, जिसकी नकल भी प्रत्यर्थी को पेश की गई थी, लेकिन उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज करके कानूनी भूल की है।

(ग) अपीलार्थी व उसका परिवार पिछले 40–50 वर्षो से अपने रिहायशी मकानों में बिना किसी विध्न–बाधा के शांतिपूर्वक रिहायश कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है, उक्त रिहायशी मकानों से बिजली का विधुत कनेक्शन लगा हुआ है, जिसका सुखाधिकार अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है, उक्त तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर विधिक भूल की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(घ) अपलार्थी का रिहायशी मकान आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, इसके चारों और रिहायशी मकान बने हुए है, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का पट्टा भी जारी किया गया है, जिसकी अनदेखी कर विधि विरूद्ध निर्णय कर कानूनी भूल की है।

(ङ) अपीलार्थी का पट्टा संख्या 72 दिनांक 26.06.1974 विधि सम्मत दस्तावेज है, उक्त पट्टा सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, अपीलार्थी को अपनी पट्टेशुदा जगह का उपयोग उपभोग करने का साम्पतिक अधिकार प्राप्त है।

(च) अपीलार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड में दखल पहुचानें का प्रत्यर्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है, प्रत्यर्थी को पट्टेशुदा भूखण्ड बाबत किसी प्रकार का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है, फिर भी यहां यह निवेदन करना उचित होगा कि अपीलार्थी का पटटा प्रत्यर्थी द्वारा खारिज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को बेदखल किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है।

3. अन्य पक्षकारों ने प्रत्यर्थी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी के भई व अन्य परिचित पक्षकार उक्त रिट में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सदभावपूर्वक रिट अभियोजित करते रहे। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.पी. रिट पिटीशन संख्या 247/2018, 251/2018 व 252/2018 में दिनांक 14.09.2018 को रिट इस आदेश के साथ खारिज फरमा दी गई। अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विधि अनुसार निर्णय किया जावे, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दिनांक 24.09.2018 को प्राप्त हुई। इसलिए अपीलार्थी को अपील पेश का ज्ञान दिनांक 24.09. 2018 को नकल प्राप्त होने पर हुआ। अपीलार्थी प्रत्यर्थी के निर्णय से दिनांक 24.09.2018 तक के दिन का समय अधिकारी विहिन न्यायालय में सदभावनापूर्ण अभियोजित करने में लगा है, मियाद से डिडक्ट करने का अधिकारी है, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की नकल दिनांक 24.09.2018 को प्राप्त होने के ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छानीबड़ी का निर्णय दिनांक 20.11.2014 को अपास्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जिसमें जाहिर किया की चक 5 सीएचएन के खसरा न0 89 की 0.405 हैक्ट. गैर मुमकीन पाल की 3000 वर्गफुट भूमि पर सोहन पुत्र चोखराम जाति खाती निवी छानीबड़ी ने आवासीय पक्के मकान का निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 एस.एल.पी. (सी) न0 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका स0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 02.08.2014 में भी ऐसी आलौच्य किस्म की सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के आवंटन एवं नियमन आदेशों को अवैध माना गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उदेश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा

सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट (पीआईएल) सं0 1554/04 निर्णय दिनांक : 12.01.17 अनवान गुलाब बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी.सिविल रिट सं0 1536/03 निर्णय दिनांक : 02.08.2004 अनवान अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि नदी, नाला, वन विभाग एवं कैचमेण्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता । चूंकि हस्तगत अपील में जो आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, वह जोहड़ की भूमि की पायतन (पाल) पर जारी किये गये हैं । ऐसे विधि विरूद्ध पट्टों को उक्त न्यायिक दृष्टान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है ।

अत : अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कि जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक : 02.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत से जारी किया गया ।

(गुंजन सोनी, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)